राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : कुलदीप, तहसीलदार

मिसल संख्या : 98/2018

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 30.08.2018 निर्णय दिनांक : ~~2020~~ 25/1/2021

राजस्थान सरकार बनाम शान्ति देवी पत्नि हजारीराम समसूराम पुत्र हजारीराम

जाति कांजर नि0 कुचामन सिटी

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुचामन सिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शान्ति देवी पत्नि हजारीराम जाति कांजर निवासी कुचामन सिटी वगैराह ने कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 2389 कुल रकबा 38.01 हैक्टर में से रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मु. खारड़ा भूमि पर सम्वत 2075 में अनाधिकृत रूप से अर्द्व पक्का मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमीयों को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की प्रतिया अप्रार्थीया की पुत्री ने प्राप्त की। अप्रार्थीगण उपस्थि। तथा आज दिनांक को अनुपस्थित रहे।

अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई अप्रार्थीगण का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि अप्रार्थीगण ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहे है।

अप्रार्थीगण को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है अप्रार्थीगण को कस्बा कुचामन सिटी के आराजी राज खसरा नम्बर 2389 कुल रकबा 38.01 हैक्टर किस्म गै. मु. खारड़ा भूमि में से रकबा 0.02 हैक्टर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थीगण पर लगाान 0.10 का पच्चास गुणा से राशि 5/– अक्षरे पांच रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 25/1/2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

माँग कायमी रा.ले.सहसील
पृष्ठ संख्या 42
वर्ष 20-21
जुर्माना 05
पटवार सुमारी
प्रा.पैदावार
तराले कुचामन सिटी

25.01.21
(कुलदीप)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0